

उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अष्टम बोर्ड बैठक दिनांक—27.06.2017 का कार्यवृत्

दिनांक—27.06.2017 को राजीव गांधी बहुउद्देशीय काम्पलैक्स, डिस्पेन्सरी रोड, देहरादून स्थित राज्य प्राधिकरण के सभागार में मा० आवास मंत्री/मा० अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में अष्टम बोर्ड बैठक आयोजित की गई।

उपस्थिति:-

1. श्री अमित सिंह नेगी, सचिव, आवास/वित्त, उत्तराखण्ड शासन/मुख्य प्रशासक, उ०आ०न०वि०प्रा०।
2. श्री विनोद कुमार सुमन, अपर सचिव, शहरी विकास, उत्तराखण्ड शासन।
3. श्री एस०के० पन्त, वरिष्ठ नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उत्तराखण्ड।
4. श्री आलोक कुमार पाण्डेय, संयुक्त मुख्य प्रशासक, उ०आ०न०वि०प्रा०, कुमाऊँ परिषेत्र।
5. श्री एस०एस० सामन्त, वरिष्ठ शोध अधिकारी, प्रतिनिधि सचिव, पर्यटन।

अन्य उपस्थिति:-

1. श्री पी०सी० खरे, वित्त नियंत्रक, उ०आ०न०वि०प्रा०।
2. श्री एन०एस० रावत, अधीक्षण अभियन्ता, उ०आ०न०वि०प्रा०।
3. श्री कैलाश चन्द्र पाण्डेय, कार्यक्रम प्रबन्धक, उ०आ०न०वि०प्रा०।

सर्वप्रथम मा० अध्यक्ष महोदय की अनुमति से प्राधिकरण बोर्ड की अष्टम बैठक प्रारम्भ की गयी, जिसमें सप्तम बोर्ड बैठक में मैं लिये गये निर्णय के अनुपालन पर चर्चा की गयी और निर्णयों की पुष्टि के उपरान्त अष्टम बोर्ड बैठक प्रारम्भ की गई।

क्रमांक—01

विषय— उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण का वित्तीय वर्ष 2017–2018 के आय-व्यय का अनुमानित प्रस्ताव के अनुमोदन के सम्बन्ध में।

वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु प्राधिकरण के आय एवं व्यय को प्रस्ताव का विवरण परिशिष्ट—‘क’ पर प्रस्तुत है, जिसके अन्तर्गत प्राधिकरण की आय रु० 2086.00 लाख के सापेक्ष व्यय रु० 2010.00 लाख प्रस्तावित है।

अतः प्राधिकरण आय-व्यय का प्रस्ताव बोर्ड के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के वित्तीय वर्ष 2017–2018 हेतु आय एवं व्यय का प्रस्ताव पर विस्तृत चर्चा के पश्चात प्रस्तावित आय-व्यय का प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत किया गया।

(कार्यवाही—उ०आ०न०वि०प्रा०)

क्रमांक—02

विषय— लैण्ड पूलिंग पॉलिसी के अन्तर्गत आवासीय योजनाओं के निर्माण तथा आवासहीन परिवारों हेतु प्रधानमंत्री आवास योजना में ई०डब्ल्यू०एस० भवनों के निर्माण के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड भूमि संयोजन योजना (क्रियान्वयन) नियम 2015 तथा संशोधन नियम 2016 में दी गयी व्यवस्था के अन्तर्गत लैण्ड पूलिंग करने हेतु समाचार पत्र में विज्ञापन

जारी किया गया, जिसमें भू-स्वामियों द्वारा सेलाकुई, छरबा चिन्यालीसौड़ तथा हरिद्वार में भूमि क्रय की कार्यवाही गतिमान है। भू-स्वामियों से भू-स्वामित्व से संबंधित विवरण मांगा जा रहा है। स्वामित्व की पुष्टि के उपरान्त लैण्ड पूलिंग पॉलिसी में दी गयी व्यवस्था एवं औपचारिकता पूर्ण कर भूमि क्रय की जाने की अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित की जायेगी। आवासहीन परिवारों के विन्हीकरण की कार्यवाही शहरी विकास विभाग द्वारा की जा रही है। राज्य प्राधिकरण द्वारा लैण्ड पूलिंग पॉलिसी के अन्तर्गत क्रय की गयी भूमि में ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण के साथ-साथ अन्य श्रेणी के भवनों का निर्माण कर क्रास सब्सिडाइज करते हुये ई0डब्ल्यू0एस0 भवन का विक्रय मूल्य कम करने का प्रयास किया जाएगा। इसी प्रकार राज्य सरकार के स्वामित्व वाली भूमि यथा सीलिंग, नजूल तथा राजकीय भूमि को निःशुल्क प्राप्त करते हुये प्रधानमंत्री आवास योजना में भवनों का निर्माण किया जाएगा। राज्य प्राधिकरण द्वारा वर्ष 2022 तक एक अनुमानित आधार पर 21628 ई0डब्ल्यू0एस0 बहुमंजिले भवनों के निर्माण का लक्ष्य रखा गया है। राज्य प्राधिकरण द्वारा विभिन्न स्थानीय प्राधिकरणों हेतु 40,000 ई0डब्ल्यू0एस0 भवनों के निर्माण का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शीघ्र भूमि की व्यवस्था कर ली जाय और भूमि की उपलब्धता हेतु समस्त जिलाधिकारियों को राजकीय भूमि उपलब्ध करवाने हेतु प्रस्ताव भेजा जाए।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0).

क्रमांक—03

विषय—उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में 02 वाहन क्रय किये जाने के सम्बन्ध में।

मा0 अध्यक्ष महोदय उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण तथा मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण के कार्यालय उपयोगार्थ राजकीय वाहन नहीं है, जिसके कारण शासकीय कार्य संचालन में असुविधा हो रही है। इसलिए दो इनोवा वाहन क्रय किया जाना प्रस्तावित है। राज्य प्राधिकरण द्वारा वर्तमान तक तीन वाहन क्रय किये गये हैं, जिनका उपयोग संयुक्त मुख्य प्रशासक, अधीक्षण अभियन्ता तथा अधिशासी अभियन्ता द्वारा कार्यालय प्रयोग हेतु किया जा रहा है।

अतः प्रस्ताव बोर्ड के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय— चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन/स्वीकृति जारी की गयी।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक—04

विषय— राज्य प्राधिकरण में सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू किये जाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड शासन की अधिसूचना संख्या— 290 / XXVII(7) 50(16) / 2016 दिनांक 28 दिसम्बर, 2016, 291 / XXVII(7)30(8) / 2016 दिनांक 29 दिसम्बर, 2016 तथा

शासनादेश संख्या— 294 /XXVII(7)30(11) /2016 दिनांक 30 दिसम्बर, 2016 जिसमें राज्य वेतन समिति उत्तराखण्ड (2016) की संस्तुतियों के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की व्यवस्था दी गयी। उक्त शासनादेश में व्यवस्था दी गयी है कि वेतन पुनरीक्षण का प्रस्ताव संबंधित बोर्ड द्वारा पारित किया जाना चाहिए। उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में शासन द्वारा जारी विकास प्राधिकरणों में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों को भी सातवें वेतनमान का लाभ दिये जाने निर्देश दिये गये। सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू किये जाने हेतु संबंधित बोर्ड का अनुमोदन आवश्यक है।

अतः शासनादेशनुसार सातवें वेतन आयोग की सिफारिश को लागू करने हेतु प्रस्ताव अनुमोदन हेतु प्रस्तुत है।

निर्णय— चर्चा के उपरान्त प्रस्ताव का अनुमोदन किया गया।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक—05

विषय— Real Estate (Regulation and Development) Act के अन्तर्गत नियमावली के अनुमोदन के संबंध में।

शासन के पत्र संख्या 200 /V—2—2017—79(आ0)2016 दिनांक 16 फरवरी, 2017 में भारत सरकार द्वारा अधिसूचित Real Estate (Regulation and Development) Act में धारा—20 में उल्लिखित व्यवस्थान्तर्गत राज्य सरकार द्वारा नियमावली बनाये जाने का प्राविधान है। शासन द्वारा अपने पत्र संख्या: 121 /V—2—2017—79(आ0)2016 दिनांक 16 फरवरी, 2017 द्वारा त्रिसदस्यी समिति बनायी गयी है। समिति द्वारा नियमावली के प्रस्ताव का प्रारूप प्रस्तुत किया गया है, और शासन द्वारा नियमावली अधिसूचना संख्या 481 /V—2—2017—79(आ)2016 टी0सी0 दिनांक 28 अप्रैल, 2017 द्वारा अधिसूचित कर दी गयी है। जब तक नियमित रियल स्टेट रेगुलेटरी अथॉरिटी का गठन नहीं हो जाता तब तक शासन के निर्देशों के क्रम में राज्य प्राधिकरण कार्य करती रहेगी।

अतः Real Estate (Regulation and Development) Act की नियमावली बोर्ड के समक्ष अवलोकनार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— चर्चा के उपरान्त Real Estate (Regulation and Development) Act की नियमावली बोर्ड द्वारा अनुमोदन प्रदान किया गया। यह भी निर्णय लिया गया कि RERA में अध्यक्ष/सदस्य नामित होने पर Secretarial Work तथा प्राधिकरण के संचालन का कार्य करने हेतु उड़ा को अधिकृत किया गया।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि0प्रा0)

क्रमांक—06

विषय—उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं आवश्यक संशोधन उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) की नियमावली बनवाने के सम्बन्ध में।

उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं आवश्यक संशोधन) की धारा 55, 56 एवं 57 में निहित शक्तियों के अन्तर्गत स्थानीय प्राधिकरण एवं राज्य प्राधिकरण हेतु नियमावली बनायी जानी है क्योंकि वर्तमान तक स्थानीय प्राधिकरणों द्वारा उत्तर प्रदेश द्वारा जारी नियमावली के अधीन ही कार्यवाही की जा रही थी और राज्य गठन के पश्चात नियमावली नहीं बनायी गयी, जिसके कारण समय-समय पर दिशा-निर्देश मांगे जाते हैं इसलिए एकरूपता एवं पारदर्शिता कि अन्तर्गत उत्तराखण्ड द्वारा उक्त अधिनियम में नियमावली बनायी जानी है, जिसके लिये राज्य प्राधिकरण द्वारा दक्ष एवं विधिक रूप से सक्षम फर्म के माध्यम से नियमावली बनाने हेतु फर्म नियुक्त कर बनवायी जा रही है।

अतः उपरोक्तानुसार बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय- चर्चा के उपरान्त उत्तराखण्ड नगर एवं ग्राम नियोजन तथा विकास अधिनियम 1973 (उत्तरांचल अनुकूलन एवं उपान्तरण आदेश 2002 के प्राविधानों के अधीन उत्तराखण्ड राज्य में यथाप्रवृत्त एवं आवश्यक संशोधन उपरान्त उत्तराखण्ड राज्य के परिप्रेक्ष्य में) की नियमावली बनवाने की स्वीकृति दी गयी। नियमावली को गठित समिति के संस्तुति पर शासन को प्रेषित करने हेतु निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—उ0आ0न0वि�0प्रा0)

क्रमांक—07

विषय—उत्तराखण्ड जन आवास योजना के अन्तर्गत रुद्रपुर में 2000 ई0डब्ल्यूएस0 भवनों के निर्माण हेतु वाप्कोस के साथ सम्पादित एम0ओ0यू0 के अनुसार प्रगति की समीक्षा के संबंध में।

राज्य प्राधिकरण तथा WAPCOS Ltd. के मध्य दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को हस्ताक्षरित अनुबन्ध का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि दिनांक 30 अगस्त, 2016 को WAPCOS द्वारा पत्र संख्या WAP/PMD/UK-UDD/LC/2016-17 के माध्यम से राज्य में Affordable/ Low Cost Houses के निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रेषित किया गया। दिनांक 28 सितम्बर, 2016 को सचिव आवास के माध्यम से पत्र संख्या 1422 / V-2-2016-91 (आ0)/2016 द्वारा WAPCOS Ltd. को राज्य सरकार की प्रस्तावित जन आवास योजना में भागीदारी हेतु पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 24 अक्टूबर, 2016 को शासन के पत्र संख्या 1526 / V-2-2016 –91(आ0)/2016 के माध्यम से राज्य में Affordable/Low Cost Houses के निर्माण में WAPCOS Ltd. की सेवा लिये जाने के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने हेतु पत्र प्रेषित किया गया, जिसमें राज्य में 5000 Affordable/Low Cost House भवनों का निर्माण किये जाने हेतु WAPCOS Ltd. के साथ प्रस्तावित अनुबन्ध का प्रस्ताव संलग्न कर प्रेषित किया गया। तत्पश्चात उक्त अनुबन्ध का विधिक परीक्षण कर दिनांक 04 नवम्बर, 2016 को अनुबन्ध हस्ताक्षरित किया गया। फर्म को अनुबन्ध हस्ताक्षरित होने के पश्चात दिनांक 02 दिसम्बर, 2016 को अनुबन्ध के अनुसार Mobilization Advance के रूप में ₹0 10 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। दिनांक 08 अगस्त को

WAPCOS Ltd. द्वारा Draft DPR राज्य प्राधिकरण को प्रेषित की गयी। दिनांक 24 दिसम्बर, 2016 को DPR का परीक्षण किया गया तथा DPR प्रधानमंत्री आवास योजना के मानकों के अनुरूप नहीं पायी गयी। दिनांक 24 दिसम्बर, को राज्य प्राधिकरण द्वारा WAPCOS Ltd. को 08 बिन्दुओं पर सूचना प्रेषित की गयी तथा यह अवगत कराया गया कि कार्य किये जाने हेतु WAPCOS Ltd. द्वारा कोई भी Full time Staff साइट पर तैनात नहीं किया गया है तथा यह भी चेतावनी दी गयी कि WAPCOS Ltd. योजना हेतु गम्भीर नहीं है तथा WAPCOS Ltd. के निर्माण एजेंसी के निर्णय पर पुनर्विचार किया जा सकता है। उक्त सम्बन्ध में दिनांक 26 दिसम्बर, 2016 को मुख्य प्रशासक महोदय की अध्यक्षता में बैठक भी आहूत की गयी। दिनांक 29 दिसम्बर, 2017 को पुनः संशोधित DPR WAPCOS Ltd. द्वारा प्रस्तुत की गयी। तत्पश्चात 2000 आवासीय ईकाईयों के निर्माण हेतु प्रथम चरण में रु0 40 लाख की धनराशि अवमुक्त की गयी। दिनांक 31 दिसम्बर, 2016 को पुनः WAPCOS Ltd. को पत्र के माध्यम से DPR में संशोधन के सम्बन्ध में सूचित किया गया। दिनांक 03 जनवरी, 2017 को WAPCOS Ltd. द्वारा पुनः Revised DPR प्रेषित की गयी। दिनांक 13 जनवरी, 2017 को संयुक्त मुख्य प्रशासक, कुमाऊँ परिक्षेत्र द्वारा WAPCOS Ltd. के रुद्रपुर में तैनात सिविल इंजीनियर को निर्देशों के अनुपालन व कार्यों को सुचारू रूप से न किये जाने तथा कार्यालय से कोई सम्पर्क न किये जाने के सम्बन्ध में पत्र प्रेषित किया गया। दिनांक 25 जनवरी, 2017 को WAPCOS Ltd. को कार्य की धीमी प्रगति के सम्बन्ध में Show Cause Notice दिया गया, जिसमें WAPCOS Ltd. द्वारा योजना के प्रति लापरवाह, कार्य को गम्भीरता से न लेने व कार्य को पूरा न किये जाने तथा DPR की त्रुटियों, मृदा परीक्षण रिपोर्ट जमा न किये जाने आदि अनेक बिन्दुओं पर निर्देशित किया गया तथा WAPCOS Ltd. से स्पष्टीकरण चाहा गया कि क्यों न उनका अनुबन्ध बर्खास्त कर दिया जाए तथा Advance राशि की रिकवरी कर दी जाए। तत्पश्चात पुनः दिनांक 13 फरवरी, 2017 को WAPCOS Ltd. को Show Cause notice पर जवाब दिये जाने हेतु अनुस्मारक प्रेषित किया गया। दिनांक 13 फरवरी, 2017 को WAPCOS Ltd. द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया। दिनांक 16 फरवरी, 2017 को मुख्य प्रशासक महोदय को प्रेषित Show Cause notice के प्रतिउत्तर पर बैठक आयोजित की गयी तथा यह चेतावनी दी गयी कि WAPCOS Ltd. क्षेत्र में Full time Staff तैनात करेगा तथा बैठक के 21 दिवसों के भीतर प्रधानमंत्री आवास योजना के अनुरूप विस्तृत दस्तावेज, डिजाइन प्रस्तुत करेगा। WAPCOS Ltd. द्वारा अनुबन्ध के अनुसार योजना की Inception Report, Feasibility Report भी समय से उपलब्ध नहीं करायी गयी। तत्पश्चात कई दौर की वार्ता के पश्चात दिनांक 31 मार्च, 2017 को ले-आउट पर विस्तृत प्रस्तुतीकरण के पश्चात ले-आउट अनुमोदित किया गया। अनुमोदित ले-आउट में रुद्रपुर में ई०डब्ल्य०एस० आवास बनाये जाने प्रस्तावित हैं, जिसके अनुसार सामुदायिक केन्द्र, पार्किंग, एस०टी०पी०, हरित क्षेत्र, डेली नीड शॉप आदि विकसित किया जाना प्रस्तावित है। दिनांक 06 अप्रैल, 2017 को पुनः WAPCOS Ltd. को पत्र प्रेषित किया गया तथा यह अवगत कराया गया कि वर्तमान तक निर्देशों के अनुसार डी०पी०आर० WAPCOS Ltd. द्वारा प्रस्तुत नहीं की गई है तथा इसके साथ ही रुद्रपुर कार्यालय में योजना हेतु संभावित

आवेदकों की सूची एम०आई०एस० पर संकलित किये जाने हेतु कोई कार्यवाही WAPCOS Ltd. द्वारा नहीं की गयी है, जिससे कार्य में विलम्ब हो रहा है। WAPCOS Ltd. द्वारा अनुबन्ध के अनुसार तथा प्राथमिकता के आधार पर रुद्रपुर योजना में कार्य नहीं क्या जा रहा है, जिससे योजना में अनावश्यक विलम्ब हो रहा है) योजना की DPR को HUDCO तथा शहरी विकास विभाग के माध्यम से केन्द्र को भी भेजा जाना है, जिसमें केन्द्रीय अनुदान प्राप्त किया जा सके। किन्तु वर्तमान तक WAPCOS Ltd. द्वारा कोई भी अपेक्षानुसार प्रगति नहीं की गयी है। फर्म के वर्तमान तक भी कोई स्टाफ दैनिक समन्वय हेतु नियुक्त नहीं किया है। अनुबन्ध के Clause 11.1 में स्पष्ट है कि यदि नियोक्ता एजेंसी कार्यदायी संस्था की सेवाओं से संतुष्ट नहीं होती है, तो कार्यदायी संस्था को बर्खास्त किया जा सकता है। उक्त सन्दर्भ में पूर्व में ही फर्म को विभिन्न नोटिसों के माध्यम से अवगत कराया जा चुका है।

उक्त प्रस्ताव बोर्ड के संज्ञानार्थ प्रस्तुत है।

निर्णय— चर्चा के उपरान्त निर्णय लिया गया कि फर्म को कार्यपूर्ति हेतु Show Cause Notice जारी कर कार्यवाही करते हुए पुनः प्रस्ताव अगली बोर्ड बैठक में प्रस्तुत किया जाए।

(कार्यवाही—उ०आ०न०वि०प्रा०)


क्रमांक—०८

विषय—अन्य बिन्दु ।

निर्णय—

1. नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग का कार्यालय वर्तमान में किराये पर निजी भवन में सचिवालय से काफी दूर संचालित हो रहा है। इस कार्यालय को उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण कार्यालय के पंचम तल पर स्थानान्तरिक करने पर किराये की बचत तथा प्रशासनिक कार्यों के संचालन में सुविधा होगी तथा नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग कार्यालय के आन्तरिक निर्माण/संचालन व्यवस्था उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण द्वारा सुनिश्चित की जाए।
2. उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण में प्रशासनिक एवं तकनीकी अधिकारों के प्रतिनिधायन के सम्बन्ध में बोर्ड में प्रस्तुत प्रस्ताव पर चर्चा की गयी और बोर्ड द्वारा समयक विचारोपरान्त कतिपय बिन्दुओं पर पुनः अध्ययन कर प्रस्ताव आगामी बोर्ड बैठक में प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये।

(कार्यवाही—उ०आ०न०वि०प्रा०)




मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण।

संख्या— २७८ / उडा-२४(३) / बोर्ड बैठक / 2014, दिनांक— 6.07.2017

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1. निजी सचिव, माठ मंत्री, आवास/माठ अध्यक्ष, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण।
2. सचिव, आवास/प्रमुख सचिव/सचिव, वित्त/सचिव, शहरी विकास/सचिव, नियोजन/सचिव, वन/सचिव, पर्यटन/सचिव, उद्योग/मुख्य प्रशासक, उत्तराखण्ड आवास एवं नगर विकास प्राधिकरण/मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग।
3. बैठक में उपस्थित समस्त माननीय सदस्यों को सूचनार्थ।
4. गार्ड फाईल।


संयुक्त मुख्य प्रशासक
उत्तराखण्ड आवास एवं नगर
विकास प्राधिकरण।